न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश तृतीय,
भोजपुर आरा।
सत्र वाद संख्या 68 / 2013

बिहार सरकार द्वारा सूचिका .....अभियोजन

बनाम

रविन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू यादव.....अभियुक्त

Date of Order	Order with initials of the Judge	Remark's
01.06.2026	**आदेश** प्रस्तुत मामले में अभियुक्त रविन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू पुकार पर उपस्थित हुए। अभिलेख द0प्र0स0 की धारा 232 के अंतर्गत आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राथमिकी अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि सूचक का पुत्र राजेश कुमार की शादी ग्राम उदयभानपुर, थाना–कृष्णा गढ़, जिला–भोजपुर के निवासी रामाकान्त यादव की लड़की से तई हुई थी। दिनांक 29.05.2009 की संध्या करीब 06:00 बजे बारात लेकर उनके यहाँ आये हुए थे। बारात में पूजा भारती पार्टी आरा का नाच भी लाये थे। जिसमें पाँच महिला नर्तकी थी। बारात गाँव के स्कुल में ठहराया गया था तथा स्कुल के प्रांगण में नाच पार्टी का मंच एवं शामियाना लगाया गया था। रात्री करीब 09:00 बजे नाच शुरू हुआ। बारात पार्टी एवं सराती पार्टी दोनों पक्ष बैठकर नाच देख रहे थे। सूचक तथा उसका भतीजा अवध बिहारी भी बैठे हुए थे। दिनांक 30.05.2009 की सुबह करीब 03:30 बजे जब नाच हो रही थी तो ग्राम उदयभानपुर के ढेमन यादव उर्फ धर्मेन्द्र यादव, करिया सिंह यादव, पिन्टू यादव अपने–अपने हाथ में देशी कट्टा लेकर	

आये तथा मंच पर चढ़कर नर्तकी के साथ छेड़–छाड़ एवं अभद्र व्यवहार करने लगे तो साक्षी एवं उसका भतीजा अवध बिहारी यादव जो सेना में नौकरी करते हैं, ने उपरोक्त तीनों व्यक्तिों को मना किया कि नर्तकी के साथ कुछ न करें। उस पर तीनों व्यक्ति अपने हाथ में लिए देशी कट्टा से फायर करने लगे। जिसपर सूचक तथा उसका भतीजा विरोध किया तो करिया सिंह यादव सूचक के भतीजे अवध बिहारी यादव पर गोली चला दिये, जो सूचक के भतीजे के बाँये कमर के ऊपर लगी, जिससे वह गम्भीर रूप से जख्मी हो गया। सूचक तथा बारात में आये लोगों से तत्काल अपने जख्मी भतीजे अवध बिहारी यादव को इलाज हेतु सदर अस्पताल आरा ले गये। जहाँ चिकित्सक द्वारा बेहतर इलाज हेतु पी0एम0सी0एच0 पटना रेफर कर दिया। चुंकि सूचक का भतीजा सेना में कार्यरत है। इसलिए ये लोग बेहतर इलाज हेतु उसे सैनिक अस्पताल दानापुर में भर्ती कराये, जहाँ उसका इलाज हुआ। चुंकि सूचक का भतीजा गंभीर रूप से जख्मी था और उसका तत्काल इलाज कराना जरूरी था इसलिए विलम्ब से दिनांक 31.05.2009 को थाना पर लिखित आवेदन दिया।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस मामले में विचारित अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 21.09.2013 को भा0द0स0 की धारा 307 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर

सुनाया एवं समझाया गया, जिसका वह प्रत्याख्यान करते हुए उसके द्वारा वाद विचारण का दावा किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्त पर लगाए आरोप के समर्थन में कुल 12 साक्षियों का नाम दर्ज है जिसमें से एक भी साक्षी न्यायालय में गवाही हेतु उपस्थित नहीं हुए। अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध साक्षियों को प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय व अवसर दिया गया है, किन्तु अभियोजन विचारित अभियुक्तों के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

न्यायालय द्वारा भी गवाहों की उपस्थिति हेतु सभी प्रक्रिया दिनांक 10.01.2018 को गवाहों के विरूद्ध B.W. निर्गत किया गया। दिनांक 19.08.2019 को गवाहों के विरूद्ध N.B.W. निर्गत किया गया। दिनांक 09.11.2023 को गवाहों के विरूद्ध पुनः N.B.W. निर्गत किया गया। दिनांक 02.03.2024 को गवाहों के विरूद्ध दस्ती सम्मन निर्गत किया गया। अंततः अभिलेख 13 साल पुराना होने की वजह से दिनांक 08.07.2024 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने हेतु किसी भी साक्षी को प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिसके कारण अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है।

चुंकि अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित

करने के लिए अभियोजन किसी भी साक्षी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने में असफल रहा है, अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त रविन्द्र सिंह उर्फ पिटूं को उसके विरूद्ध विरचित आरोप अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम से यह न्यायालय दोषमुक्त करती है। चुंकि अभियुक्त इस केस में जमानत पर है। अतः उसे एवं उसके जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोंचित करती है।

लेखापित

अपर जिला न्यायाधीश तृतीय
भोजपुर, आरा